

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक:प. 4 (24)कृषि/ग्रुप-2/2006

जयपुर, दिनांक:- 7 JAN 2015

:- अधिसूचना :-

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 38 सन् 1961) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त धारा की उप धारा 4 के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश करती है कि इन संशोधन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त रखा जाये क्योंकि राज्य सरकार का विचार है कि इन संशोधनों को तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।
- नियम 44 क. का संशोधन - उक्त नियमों के नियम 44 क. में विद्यमान अभिव्यक्ति (क) में "3000/- रुपये प्रतिमास" के स्थान पर "6000/- रुपये प्रतिमास" एवं (ख) में "2000/- रुपये प्रतिमास" के स्थान पर "4000/- रुपये प्रतिमास" प्रतिस्थापित किया जाता है।
- नियम 44(सी) के विद्यमान उपखण्ड (1) का संशोधन - उक्त नियमों के नियम 44(सी) के विद्यमान उपखण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाता है, अर्थात्
(i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य


क्र. सं.	पद का नाम	24 घण्टे के प्रतिदिन या उसके भाग के लिये रुपये की दर पर		
		जयपुर को छोड़कर राजस्थान में और राजस्थान के बाहर	जयपुर और अन्य राज्यों की राजधानियों के लिये	दिल्ली, मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता और अन्य महानगरों के लिए
1	अध्यक्ष	300	350	400
2	उपाध्यक्ष	250	300	350
3	सदस्य	200	250	300

राज्यपाल की आज्ञा से

(हरिशंकर शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कृषि विपणन, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि।
- निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- विधान सभा लिपिक, कृषि (ग्रुप-2) विभाग।
- रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव